

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक / रीडर / 2025 / 3687

दिनांक 06/10/2025

उपरोक्त प्रकरण - द्वारखादेवी बनाम भूमिधारी तहसीलदार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956
मुकदमा संख्या - 184 / 2025

:- दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त विषयानुसार लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक
.....20...../भूअ./2025 दिनांक 25/09/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम अठातपुरा पटवारी हल्का अठातपुरा
तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के गृहे खाता संख्या 338 में खातदार द्वारखादेवी
पुत्र रतिराम के स्थान पर द्वारखादेवी प्रेम रतिराम का
नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का अठातपुरा
उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस
कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।


उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक / रीडर / 2025 / 3688-89

दिनांक 06/10/2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का अठातपुरा तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।


अनिल कुमार
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर (सीकर)